सं0–1058/XXVIII (3)–2004-155/2004

प्रेषक,

अर्जुन सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–3 देहरादून: दिनांक : 21 मार्च, 2004

विषय: संयुक्त चिकित्सालय प्रेमनगर,जनपद देहरादून के भवन निर्माण की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–74/1/निर्माण/11/2004/27431 दिनांक 9.11.2004 के संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–2005 मे के संयुक्त चिकित्सालय प्रेमनगर जनदन देहरादून के भवन निर्माण हेतु रू0 1,78,70,000=00 (रू0 एक करोड़ उन्नासी लाख सत्तर हजार मात्र) की लागत पर प्रशासनिक/वित्तीय अनुमोदन तथा चालू वित्तीय वर्ष मे व्यय हेतु रू0 40,000.00(रू0 चालीस लाख मात्र) की धनराशि की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

1– एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

2– कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टयों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

3– उक्त धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात् परियोजना प्रबन्धक उ0प्र0सी0एण्ड0डी0एस0जल निगम उत्तरांचल को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा मे इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा। निर्माण ऐजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि कार्य स्वीकृत लागत मे ही पूर्ण कराया जायेगा तथा किसी भी दशा में लागत पुनरीक्षित नही होगी।

4– स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका मे उल्लिखित प्राविधानों मे बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों मे जो दरे शिड्यूल ऑफ रेट मे स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हों, कि स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण स्तर के अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक हैं। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8– एक मुश्त प्राविधन को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

10– कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

11– आगणन जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए।

12– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा मे माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्गत किया गया है।

13– निर्माण के समय यदि किसी कारणवश यदि परिकल्पनाओं/विशिष्टियों मे बदलाव आता है तो इस दशा मे शासन की स्वीकृति आवश्यक होगी ।

14– निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू–भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू–भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय।

15– धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता को ध्यान में रखकर किया जाए।

16– उक्त व्यय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक मे अनुदान संख्या –12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय– आयोजनागत –02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें –104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र– 0302 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (विस्तार अंश) 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न पुनर्विनियोग प्रपत्र बी0एम0–15 के अनुसार 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत- 03 चिकित्सा -शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105- एलोपैथी 05- रूद्रपुर मे मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु बेस चिकित्सालय का उच्चीकरण-00- 24-वृहत निर्माण कार्य की बचत से वहन की जायेगी ।

17– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–766/वित्त अनुभाग–2/2004 दिनांक 20.3.05 मे प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नक– यथोक्त ।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

सं0–1053/XXVIII (3)–2004–155/2004

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3– वरिष्ट कोषाधिकारी, देहरादून।
4– जिलाधिकारी, देहरादून।
5– मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून ।
6– परियोजना प्रबन्धक उ0प्र0सी0एण्ड0डी0एस0जल निगम उत्तरांचल।
7– निजी सचिव मा0 मुख्य मुख्यमंत्री।
8– वित्त अनुभाग–2/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.
9– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या 1058/xxviii(3)-2004-155/2005 दिनांक 2.3.05 का संलग्नक।

नियंत्रकअधिकारी, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल, देहरादून (वित्तीय वर्ष 2004-05)

अनुदान सं0 - 12

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण (मानक मद)	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखा शीर्षक जिनमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है (मानक मद)	पुर्न-विनियोजन के बाद कुल धनराशि	पुर्न-विनियोजन के बाद कॉलम-1 की अवशेष धनराशि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत -03 चिकत्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105-एलोपैथी, 05-रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु बेस चिकित्सालय का उच्चीकरण 24-वृहत निर्माण कार्य				4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय आयोजनागत 02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाये -104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 0302-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (विस्तार अंश) 24-वृहत निर्माण कार्य			क. रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु बेस चिकित्सालय का उच्चीकरण योजन मे आवश्यकता से अधिक बजट प्राविधान होने के कारण धनराशि की बचत है। ख. सामु0 स्वा0के0 के भवन निर्माण हेतु धनराशि की आवश्यकता है।
21452	-	-	21452	4000	27828	17452	
योग 21452	-	-	21452	4000	27828	17452	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुर्नविनियोग मे बजट मैनुअल के परिच्छेद 151,156 मे उल्लिखत प्रतिबन्धें एवं सीमाओं का उल्लंघन नही होगा

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

(08)

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग - 2
संख्या 766 वित्त अनु0-2/2004
देहरादून : दिनांक 2005

पुर्नविनियोजन स्वीकृति

एल0एम0 पंत
अपर सचिव,
वित्त विभाग

सेवा में,

महालेखाकार
उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी)
मालरा सहारनपुर रोड़, देहरादून।

संख्या : 1058/xxviii(3)-2004- 15/5/2004 दिनांक तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, कोषागार एवं लिल सेवायें, उत्तरांचल।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
3. वित्त अनुभाग-2
4. गार्ड फाईल

आज्ञा से,
(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव